प्रेस नोट

अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) और राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) के लाइसेंसों को सरल बनाया गया

सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि ऐसे नीति निर्णयों की घोषणा की जाए जिससे लोगों को नई दूरसंचार नीति, 1999 के अनुसार, वहनीय दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने में आसानी हो।

सरकार ने उपर्युक्त रणनीति के अनुसार राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) के लाइसेंसों के लिए और उदारता बरतने की दृष्टि से आज विभिन्न शर्तों को हटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है ताकि देश में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं के विकास कार्य को सुकर बनाया जा सके। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न परिवर्तन निम्नानुसार हैं :-

क) राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) की सेवा का लाइसेंस

(i) आईएलडी और एनएलडी सेवा के विकास को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, नए एनएलडी लाइसेंस के लिए प्रवेश शुल्क को मौजूदा 100 करोड़ रू0 के स्तर से घटाकर 2.5 करोड़ रू0 कर दिया गया है। इसी प्रकार, एनएलडी लाइसेंसों के वार्षिक लाइसेंस शुल्क को 1.1.2006 से समायोजित सकल राजस्व के 15% के मौजूदा स्तर से घटाकर 6% किया जाना है।

(ii) इस समय, एनएलडी लाइसेंसों में, प्रत्येक लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्र में प्वाइंट आफ प्रेजेंस की स्थापना के अनिवार्य उपबंध की शर्त रखी गई है। यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में दिए जाने वाले एनएलडी लाइसेंस और मौजूदा लाइसेंसों के लिए तत्काल प्रभाव से, कोई अनिवार्य रॉल-आउट दायित्व नहीं रखा जाएगा।

(iii) इस समय, एनएलडी लाइसेंसों के लिए 2500 करोड़ रू0 की नेटवर्क अपेक्षित है और 250 करोड़ रू0 की प्रदत्त पूंजी होनी अपेक्षित है। प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने और नए सेवा प्रदाताओं को शामिल किए जाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि आवेदक कंपनी की नेटवर्क की अपेक्षा और प्रदत्त पूंजी की अपेक्षा को घटाकर 2.5 करोड़ रू0 के स्तर पर निर्धारित कर दिया जाए।

(iv) इस समय, एनएलडी सेवा प्रदाता पट्टाशुदा सर्किटों/क्लोज्ड यूजर ग्रुपों की सेवा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता से सीधे संपर्क नहीं कर सकते हैं। बीपीओ/केपीओ उद्योग को बढ़ावा देने के कार्य को सुकर बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि एनएलडी सेवा प्रदाता पट्टाशुदा सर्किटों/क्लोज्ड यूज़र ग्रुपों की सेवा प्रदान करने के लिए उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क कर सकते हैं अर्थात् कि वे उपभोक्ताओं के परिसर तक कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं।

(ख) अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) की सेवा का लाइसेंस

(i) आईएलडी के लिए प्रवेश शुल्क को 25 करोड़ रू0 से घटाकर 2.5 करोड़ रू0 किया जाना है।

(ii) आईएलडी लाइसेंसों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क को दिनांक 1.1.2006 से समायोजित सकल राजस्व के 15 % से घटाकर 6% किया जाना है।

(iii) आईएलडी सेवा के लाइसेंसधारकों के लिए भारत में कम से कम एक स्विच होने की शर्त को छोड़कर अनिवार्य रॉल-आउट दायित्व की कोई आवश्यकता नहीं है।

(iv) आईएलडी सेवा प्रदाता केवल पट्टाशुदा सर्किट/क्लोज्ड यूज़र ग्रुप की सेवा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता से सीधे संपर्क कर सकते हैं।

(v) आईएलडी सेवा लाइसेंस के लिए आवेदक कंपनी की नेटवर्थ और प्रदत्त पूंजी 2.5 करोड़ रू0 होगी।

(ग) लाइसेंस प्रदान करने के लिए दूरसंचार के क्षेत्र में अनुभव की आवश्यकता

(i) यह निर्णय लिया गया है कि अब से दूरसंचार सेवा के लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु दूरसंचार के क्षेत्र में पूर्व अनुभव होने की पूर्वापेक्षा नहीं होगी।

(घ) अभिगम्यता प्रदाताओं द्वारा इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट सेवाएं और ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान किया जाना

(i) भारत में अभी तक इंटरनेट टेलीफोनी की अनुमति नहीं थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि अभिगम्यता सेवा प्रदाता इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट सेवाएं और ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो अभिगम्यता सेवा प्रदाता एनएलडी/आईएलडी सेवा के लाइसेंसधारक के नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं।

(ङ) आईपी - वीपीएन सहित आईपी-II और आईएसपी लाइसेंस

(i) सरकार ने आईपी II और आईपीवीपीएन लाइसेंसों को समाप्त करने का निर्णय किया है। मौजूदा आईपी-II/आईपी-वीपीएन लाइसेंसधारकों को एनएलडी/आईएलडी सेवा लाइसेंस के प्रचालन क्षेत्र में जाने की अनुमति होगी।

(ii) एनएलडी/आईएलडी के प्रचालन क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाने पर आईपी-वीपीएन के अनंतिम प्रवेश शुल्क को प्रवेश शुल्क और सरकार को लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रभारों के जरिए देय का भुगतान करने में समायोजित किया जाएगा/अथवा दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण के आदेशानुसार वापस कर दिया जाएगा।

(iii) इंटरनेट टेलीफोनी (प्रतिबंधित) सहित आईएसपी के लिए 1.1.2006 से समायोजित सकल राजस्व के 6% की दर से लाइसेंस शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

(iv) अभिगम्यता प्रदाता तिहरी सेवाओं अर्थात् वायस, वीडियो एवं डाटा सहित ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। आईएसपी लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों, जिनके द्वारा इंटरनेट को ऐसी वैश्विक सूचना प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जोकि आईपी अथवा इसके अनुवर्ती संवर्द्धन/उन्नयन पर आधारित वैश्विक अनन्य समाधान प्रणाली द्वारा युक्तियुक्त रूप से जोड़ी गई है, के अनुसार केवल इंटरनेट अभिगम्यता/इंटरनेट कॉन्टेंट सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। आईएसपी ऐसे व्यवस्थित (मैनेज्ड) नेटवर्क (वर्चुअल/रीयल) पर कॉन्टेंट सेवाएं नहीं प्रदान कर सकते हैं जो इंटरनेट से प्राप्त नहीं की गई हैं।

(v) मौजूदा आईपी-।। लाइसेंस के दिशा-निर्देशों के अनुसार जो आई पी-।। लाइसेंसधारक एनएलडी/आईएलडी के प्रचालन क्षेत्र में जाने के इच्छुक नहीं है उन्हें उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय लीज्ड लाइन/बैंड विड्थ प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी।

(vi) जो आईपी-वीपीएन लाइसेंसधारक एनएलडी/आईएलडी के प्रचालन क्षेत्र में जाने के इच्छुक नहीं है उनको वीपीएन नेटवर्क से वायस ट्रैफिक को वहन करने की अनुमति नहीं होगी।

(च) वी-सैट वाणिज्यिक

(i) 1.1.2006 से वार्षिक लाइसेंस शुल्क समायोजित सकल राजस्व के 6% की दर से प्रभारित किया जाएगा।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग

नई दिल्ली कार्तिक 20, 1927, नवंबर, 10,2005

आरएम/एएमए-101105 आईएलडी प्रेस नोट